फर्द अहकाम

मोती बनाम भगवान व अन्य

संख्या 45/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14.02.2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्राथना पत्र के समर्थन मे स्वय का शपथ पत्र एव विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान 3938, 3939, 4187, 4188, 4189, 4191, 4192,कुल किता 7 कुल रकबा 2.43 है0 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 05.03.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 1534-1541 5/3/25
05/3/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/3/25 को पेश हो। पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज [illegible] किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं [illegible] सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/4/25 को पेश हो।	नोटिस जारी 1534-1541 5/3/25
24/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0 नहीं। वक्त अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रा0पत्र टी.आई. अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बैठक मुताबिक [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	